कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

रूचि की अभिव्यक्ति

(Expression of Interest)

कमांक / 21 / जिला शि0अधि0 / एन.एम.डी.सी. / 2019–20 दन्तेवाड़ा दिनांक 03/ 01 / 2020

दन्तेवाड़ा जिले के हाई स्कूलों में गणित एवं विज्ञान विषय पर फोकस कर छात्र / छात्राओं एवं शिक्षकों के लिये शिक्षा प्रद अभिनव व्यवस्थित उपकरण से सुसज्जित मिनी साईस लेब की स्थापना किया जाना है। मॉडल की स्थापना हेतु एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण युक्त मिनी साईंस लेब की सामग्री सूची संलग्न है। जिसके लिये रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है । रूचि की अभिव्यक्ति हेतु कार्यालयीन दिवस में फार्म की विक्रय राशि 1000=00 रूपये नगद जमा कर दिनांक 16 / 01 /2020 को समय सायं 5.00 बजे तक फार्म प्राप्त कर सकते है । नियम शर्ते एवं धरोहर राशि इत्यादि की जानकारी कार्यालयीन समय पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है ।

फार्म विक्रय की अंतिम तिथि 16 / 01 /2020 शायं 5.00 बजे तक

फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 16 / 01/2020 दोपहर 2.00 बजे तक

फार्म खोलने की तिथि 17 / 01/2020 सायं 5.00 बजे ।

जिला शिक्षा अधिकारी
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) की नियम एवं शर्ते

दन्तेवाड़ा जिले के हाई स्कूलों में मिनी साईंस लेब की स्थापना एवं गणित तथा विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है । जिसकी दरें अनुमोदित की जानी है। इसके लिए अधिकृत इच्छूक फर्म से सील बंद दो पृथक–पृथक लिफाफे में दिनांक /01/2020 को दोपहर 2.00 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में प्रस्तुत कर सकते हे ।

शर्ते :–

1 मिनी साईस लेब की सामग्री हेतु अमानत (अर्नेस्टमनी) राशि के रूप में रूपये 3,75,000=00 (शब्दों में :– तीन लाख पच्चहत्तर हजार रूपये मात्र) का बैंक सावधि जमा पत्र/बैंक ड्राप्ट के रूप में जो जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दन्तेवाड़ा को देय होगा, जमा करना अनिवार्य होगा।

2 जो फर्म अर्नेस्टमनी की छूट हेतु अधिकृत है वे प्रमाण–पत्र तथा शासन के अभिप्रमाण प्रस्तुत करें।

3 मिनी साईंस लेब की स्थापना में आवश्यक सभी सामग्री फर्म संचालक के द्वारा वहन कर स्थापित किया जायेगा।(स्थापना हेतु समस्त सामग्री)

4 प्रस्तुत की जा रही लिफाफा सील/ मोहर बंद होना आवश्यक है। लिफाफा रजिस्टर्ड , स्पीड पोस्ट या स्वयं उपस्थित होकर जमा करने की अंतिम तिथि 16 /01/2020 को दोपहर 2.00 बजे तक ही स्वीकार की जावेगी।

5 फार्म पर जी.ए ....स.टी. नम्बर व दिनांक अंकित होना चाहिए।

6 फार्म के साथ PAN NO एवं GSTIN NO की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

7 प्रस्तुत दर में सभी प्रकार का टेक्स सम्मिलित रहेगा।

8 दरें स्वीकृत होने पर, कार्यादेश जारी किया जायेगा। आदेश के मान से निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्री की पूर्ति दन्तेवाड़ा जिला अन्तर्गत 27 चयनित शालाओं में स्वयं के व्यय पर पहुंचाकर स्थापित किया जाना होगा । चयनित शालाओं की सूची संलग्न है ।

9 मिनी साईंस लेब की स्थापना के पश्चात चयनित शालाओं के संबंधित गणित एवं विज्ञान विषय शिक्षकों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य होगा इसके लिये किसी प्रकार के अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।

10 स्थापित होने के पश्चात समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन संतोषप्रद होने के उपरांत कुल राशि की 60 प्रतिशत राशि भुगतान किया जायेगा । शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उपरांत शेष राशि 40 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा ।

11 मिनी साईन्स लैब निर्माता का अधिकृत प्रमाण –पत्र होना चाहियें ।

12 निवेदक का गत वार्षिक आर्वत 25.00 लाख होना चाहियें ।

13 निवेदक को पिछले तीन वर्ष का बैलेंस सीट प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

14 निवेदक को मिनी साईन्स लैब बनाने का दो साल का अनुभव होना चाहिये, कार्यदेश की फोटो कापी संलग्न करना अनिवार्य है , तथा दोनों कार्यादेश की राशि 30.00 लाख रूपये से ज्यादा की होनी चाहियें, एवं एक कार्यादेश 25 स्कूलों अथवा उससे अधिक का होना अनिवार्य है ।

15 प्रस्तुत उत्पात का निर्माण या संयोजन छ0ग0 में स्थापित होना अनिवार्य है ।

16 जिन फर्मो की आवेदन अस्वीकार की जावेगी। उन्हें पृथक से सूचना नही दी जायेगी।

17 रूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 17 /01/2020 को समिति के समक्ष शायं 5.00 बजे अद्योहस्तारकर्त्ता के कार्यालय में खोली जायेगी। संबंधित फर्म संचालक या प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हो सकते है।

18 फर्म द्वारा दो पृथक–पृथक लिफाफों में प्राप्त की जावेगी। प्रथम लिफाफे में आवश्यक दस्तावेज सुरक्षानिधि, उसमें छूट संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किये जावेगें, एवं द्वितीय लिफाफे में दरें प्रस्तुत की जावेगी। पहले प्रथम लिफाफा खोला जावेगा। सभी शर्ते पूर्ण करने वाली फर्म का ही द्वितीय लिफाफा खोला जावेगा । **लिफाफा के ऊपर नम्बर लिखना अनिवार्य है।**

19 रूपये 1000=00 कार्यालय में नगद राशि जमा कर कार्यालयीन समय में फार्म तथा अन्य जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

20 किसी भी फार्म को मान्य करने अथवा अमान्य करने का अधिकार जिला समिति दन्तेवाड़ा को होगा।

21 कार्यादेश जारी होने के पश्चात निर्धारित अवधि में मिनी साईस लेब स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा आदेश स्वमेव समाप्त (निरस्त) मानी जावेगी, एवं आपके द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि को राजसात की जावेगी ।

22 मिनी साईंस लेब स्थापना संबंधी किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर कलेक्टर महोदय जिला दन्तेवाड़ा का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा